

प्र.सं. 44 / 2019 घनश्याम व अन्य बनाम किशोरीलाल व अन्य
प्र.सं. 45 / 2019 किशोरीलाल व अन्य घनश्याम बनाम व अन्य

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23.01.2025	<p>प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्त घनश्याम, छोगालाल व ख्यालीलाल द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अम्बेरी की साबिक आराजी नंबर 745, 746, 747 / 1 कुल किता 3 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, जिसके हाल आराजी नंबर 910 रकबा 0.4400 हैक्टर बने हैं। प्रतिवादी संख्या 1 किशोरीलाल को वादी के पिता द्वारा भूमि विक्रय की गयी है, जिसके आधार पर नामान्तरकरण वादी के नाम स्वीकृत हुआ, परन्तु भू-प्रबन्ध द्वारा वादी का रकबा कम कर प्रतिवादी का रकबा बढ़ा दिया, जिसका उल्लेख वाद पत्र के अनुच्छेद 3 व 4 में किया गया है। अतः वादी को आराजी नंबर 958 में से 0.3016 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर भूमि वादी के नाम दर्ज करायी जावे तथा शेष रकबा प्रतिवादी के नाम बटा नंबर डालकर रखा जावे।</p> <p>उक्त वाद का प्रतिवादी संख्या 1 किशोरीलाल द्वारा प्रतिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि साबिक आराजी नंबर 745, 746, 747 / 1 के अलावा भी प्रतिवादी के खाते दर्ज थी, जबकि वादी के केवल तीन साबिक आराजी नंबरों का उल्लेख किया है व रकबा भी गलत बताया है तथा उसके हाल आराजी नंबर 910 रकबा 0.4400 हैक्टर है, वह भी गलत बताया है। साबिक व हाल रकबे का मिलान नहीं होता है।</p> <p>उक्त प्रतिवाद प्रस्तुत होने पर वादी द्वारा संशोधित वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी नंबर 958 रकबा 0.4800 हैक्टर भूमि वादी के नाम व वादी के नाम दर्ज आराजी नंबर 910 रकबा 0.4400 हैक्टर भूमि में से 0.3760 हैक्टर भूमि वादी के नाम व शेष रकबा 0.1040 हैक्टर प्रतिवादी के नाम पर आराजी नंबर 910 में बटा डाल कर दर्ज करने का आदेश दिया जावे।</p> <p>उक्त संशोधित वाद का जवाब प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने मनगढ़न्त तथ्य अंकित किये हैं। उसने यह नहीं बताया कि खाते में कितना रकबा था तथा अब कितना रहा गया है, जबकि आराजी नंबर 910 प्रतिवादी की है व उस पर प्रतिवादी का</p>	



प्र.सं. 44/2019 घनश्याम व अन्य बनाम किशोरीलाल व अन्य
प्र.सं. 45/2019 किशोरीलाल व अन्य घनश्याम बनाम व अन्य

ही कब्जा है एवं यह वादी के नाम गलत दर्ज हो गयी है, जबकि आराजी नंबर 958 प्रतिवादी के नाम दर्ज है। दिनांक 05.01.2001 को कोई वादकरण उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि सेटलमेन्ट 1984 में हो चुका था, जिसे 16 वर्ष हो चुके हैं। वादी द्वारा गलत वाद पेश किया गया है, जो सव्यय खारिज किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर 4 तनकियां कायम की एवं तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 30.11.2007 को वादी का वाद खारिज करते हुए प्रतिवादी के रकबे से 0.3018 हैक्टर भूमि कम करने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर दोनों पक्षों द्वारा न्यायालय हाजा में अपीलें प्रस्तुत की गयी, जिसपर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 13.07.2010 को निर्णय पारित करते हुए घनश्याम व अन्य द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 29/2008 स्वीकार की गयी तथा किशोरीलाल द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 39/2009 खारिज की गयी, जिसके विरुद्ध दोनों पक्षों द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर माननीय राजस्व मण्डल ने दिनांक 09.09.2019 को निर्णय पारित करते हुए अपीलें स्वीकार करते हुए न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 13.07.2010 को निरस्त कर दिया तथा प्रकरण पुनः न्यायालय हाजा को प्रतिप्रेषित किया।

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रकरण न्यायालय हाजा में रिमाण्ड होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर किया पक्षकारान को नोटिस जारी किये जाने पर प्रथम अपीलकर्ता घनश्याम व अन्य की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद शर्मा एवं द्वितीय अपीलकर्ता किशोरीलाल व अन्य की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रकरण संख्या 44/2019 के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पत्रावली का अवलोकन किये अपीलान्त के दावे को निरस्त करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का बिना विधिवत अवलोकन किये रेस्पॉन्डेन्ट के खाते में दर्ज अधिक भूमि अपीलान्त को न देकर बिलानाम दर्ज करने का आदेश दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ

प्र.सं. 44/2019 घनश्याम व अन्य बनाम किशोरीलाल व अन्य
प्र.सं. 45/2019 किशोरीलाल व अन्य घनश्याम बनाम व अन्य

न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2007 अपास्त की जावे तथा रेस्पॉन्डेन्ट के खाते में दर्ज आराजी नंबर 958 रकबा 0.4800 हैक्टर भूमि अपीलान्ट के खाते दर्ज करने का आदेश दिया जावे एवं आराजी नंबर 910 रकबा 0.4400 भूमि में से 0.3780 हैक्टर भूमि अपीलान्ट के खाते एवं शेष 0.1040 हैक्टर भूमि रेस्पॉन्डेन्ट के खाते दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए अपील संख्या 45/2019 के विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की जमीन बिलानाम दर्ज करने का आदेश दिया, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस मामले में न तो सरकार का दावा है एवं न ही काउण्टर क्लेम, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के बिलानाम दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा कथित भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा प्रकरण न्यायालय हाजा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि "प्रथम अपील के स्तर पर पेश अभिलेख के संबंध में विपक्षी को भी खण्डन में दस्तावेज प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान कर उभयपक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।" माननीय राजस्व मण्डल के उक्त निर्देशों की पालना में न्यायालय हाजा द्वारा पक्षकारान को दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिस पर किशोरीलाल के अधिवक्ता द्वारा संवत् 2027 से 2030 एवं संवत् 2042 की जमाबन्दी प्रस्तुत की गयी। जमाबन्दी संवत् 2027 से 2030 में साबिक आराजी नंबर 745, 746 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा एवं 747/1 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि भैरूलाल पिता पन्नालाल ब्राहमण के नाम दर्ज है तथा संवत् 2042 में हाल आराजी नंबर 910 रकबा 0.4400 हैक्टर भैरूलाल पिता पन्नालाल ब्राहमण के खाते में तथा आराजी नंबर 958 रकबा 0.4800 हैक्टर भूमि किशोरीलाल पिता शिवलाल भोई के खातेदारी में दर्ज है, किन्तु यहां

प्र.सं. 44/2019 घनश्याम व अन्य बनाम किशोरीलाल व अन्य
प्र.सं. 45/2019 किशोरीलाल व अन्य घनश्याम बनाम व अन्य

विवाद यह नहीं है बल्कि विवाद रकबा कमी बेशी का है, जिसके संबंध में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 13.07.2010 को टेबल बनायी जाकर कमी बेशी रकबे बाबत विस्तृत निर्णय पारित किया जा चुका है। पक्षकारान द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्देशों की पालना में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि की जाना प्रकट होता हो। तदनुसार घनश्याम व अन्य द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 44/2019 स्वीकार की जाती है एवं किशोरीलाल व अन्य द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 45/2019 खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2007 अपास्त की जाकर न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री 13.07.2010 में वर्णित टेबल अनुसार मौजा अम्बेरी स्थिति विवादित आराजियात में से रकबा 2.7000 हैक्टर का अपीलान्त/वादीगण घनश्याम, छोगालाल व ख्यालीलाल को खातेदार घोषित किया जाता है एवं इसी प्रकार रकबा 0.9200 हैक्टर का प्रतिवादी किशोरीलाल को खातेदार घोषित किया जाता है तथा आराजी नंबर 958 रकबा 0.4800 हैक्टर व 960 रकबा 0.0400 हैक्टर कुल रकबा 0.5200 हैक्टर प्रतिवादी किशोरीलाल के नाम से हटायी जाकर वादीगण घनश्याम, छोगालाल व ख्यालीलाल के नाम अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं इसी प्रकार प्रतिवादी किशोरीलाल द्वारा क्रय शुदा आराजी नंबर 649/2 रकबा 1 बीघा भूमि को हाल आराजी नंबर 910 रकबा 0.4400 हैक्टर में से 0.2200 हैक्टर भूमि घनश्याम, छोगालाल व ख्यालीलाल के खाते से कम की जाकर प्रतिवादी किशोरीलाल के नाम अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा शेष 0.2200 हैक्टर में से 0.1000 हैक्टर भूमि घनश्याम, छोगालाल व ख्यालीलाल के खाते में रखते हुए शेष बची 0.1200 हैक्टर भूमि बिलानाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

2019/00193
2019/00194

प्र.सं. 44 / 2019 घनश्याम व अन्य बनाम किशोरीलाल व अन्य
प्र.सं. 45 / 2019 किशोरीलाल व अन्य घनश्याम बनाम व अन्य